न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयॉं आर.ए.एस

(1) अपील सं0 2005/00085 (77/2005) 225 आरओएक्ट

श्रीराम पुत्र श्री बीरूराम जाति बिश्नोई निवासी रामपुरा नारायण हाल चक नं. 11 के.एस.डी. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ। –अपीलाण्ट

बनाम

1. बनवारी (फौत)
   1/1 आबल देवी विधवा पत्नी बनवारी लाल जाति बिश्नोई पा0 ओ0 रामपुरा तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर, (पंजा)
   1/2 मोहरां देवी पत्नी बनवारी लाल जाति बिश्नोई वी.पी.ओ. बिलोचांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
   1/3 उदयपाल
   1/4 हंसराज
   1/5 जोगेन्द्र
   1/6 सोमदत्त
   1/7 रमेश
   } पिसरान बनवारी लाल वी.पी.ओ. रामपुरा तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर (पंजाब)
   1/8 विमला देवी पत्नी बस्ती राम पुत्री बनवारी लाल जाति बिश्नोई निवासी चक 2 ढाणी खनुवाली तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. इन्द्रजीत पुत्र बीरूराम जाति बिश्नाई निवासी रामपुरा नारायण हाल चौहिलांवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (राज0)
3. मनीराम पुत्र रामप्रताप (फौत)
   3/1 रोशनी पत्नी मनीराम
   3/2 विष्णु पुत्र. मनीराम
   } निवासी बिलोचांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
   3/3 माया देवी पुत्री मनीराम निवासी बिलोचांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
4. हरीराम पुत्र हरभज (फौत)
   4/1 जगदीश प्रसाद पुत्र हरीराम
   4/2 किशोरीलाल पुत्र हरीराम
   4/3 सावित्री पुत्री हरीराम पत्नी हरिशंकर निवासी रासूवाला ढाणी 12 के.एस.डी. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
   4/4 कमला पुत्री हरी[illegible] ढाणी 12 के.एस.डी. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
   4/5 शीलो देवी पुत्री [illegible] तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

–रेस्पोडेण्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:56:06 IST
Reason: SelfAttested

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 17.05.2005 द्वारा सहायक कलक्टर संगरिया अनवान बनवारीलाल बनाम बीरूराम आदि प्र0सं0 329/1997

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

(2) अपील सं0 2005/00048 (82/2005) 225 आरअीएक्ट

श्रीराम पुत्र श्री बीरूराम जाति बिश्नोई निवासी रामपुरा नारायण हाल चक नं. 11 के.एस.डी. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ। —अपीलाण्ट

बनाम

1. बनवारी (फौत)
1/1 आबल देवी विधवा पत्नी बनवारी लाल जाति बिश्नोई पा0 ओ0 रामपुरा तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर, (पंजा)
1/2 मोहरां देवी पत्नी बनवारी लाल जाति बिश्नोई वी.पी.ओ. बिलोचांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
1/3 उदयपाल
1/4 हंसराज
1/5 जोगेन्द्र
1/6 सोमदत्त
1/7 रमेश
} पिसरान बनवारी लाल वी.पी.ओ. रामपुरा तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर (पंजाब)
1/8 विमला देवी पत्नी बस्ती राम पुत्री बनवारी लाल जाति बिश्नोई निवासी चक 2 ढाणी खनुवाली तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. इन्द्रजीत पुत्र बीरूराम जाति बिश्नोई निवासी रामपुरा नारायण हाल चौहिलांवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (राज0)
3. मनीराम पुत्र रामप्रताप (फौत)
3/1 रोशनी पत्नी मनीराम
3/2 विष्णु पुत्र. मनीराम
} निवासी बिलोचांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3/3 माया देवी पुत्री मनीराम निवासी बिलोचांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
4. हरीराम पुत्र हरभज (फौत)
4/1 जगदीश प्रसाद पुत्र हरीराम
4/2 किशोरीलाल पुत्र हरीराम
4/3 सावित्री पुत्री हरीराम पत्नी हरिशंकर निवासी रासूवाला ढाणी 12 के.एस.डी. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
4/4 कमला पुत्री हरीराम पत्नी राजेन्द्र निवासी रासूवाला ढाणी 12 के.एस.डी. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
4/5 शीलो देवी पुत्री हरीराम निवासी बिलोचांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ। —रेस्पोंडेण्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:56:06 IST
Reason: SelfAttested

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 17.05.2005 द्वारा सहायक कलक्टर संगरिया अनवान बनवारीलाल बनाम बीरूराम आदि प्र0सं0 92/1999

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with CamScanner

श्री राजेशदीपराय एवं श्री खुशप्रीत सिंह संधू अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांकः– 10.12.2020

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी बनवारीलाल ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद संख्या 329/97 अनवानी बनवारी लाल बनाम बीरूराम धारा 88 आरटीएक्ट का वाद पेश किया जिसमें चक 11 के.एस.डी. खाता संख्या 31/32 खाता रामप्रताप वगैरा में प्रतिवादी नं. 1 वीरूराम, प्रतिवादी नं0 5 हरिराम व प्रतिवादी नं0 4 पिता रामप्रताप पुत्र हरभज के नाम दर्ज कुल आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करने व उक्त खाते से वीरूराम पुत्र खुमाराम, रामप्रताप, हरिराम पि0 हरभजन का नाम कलमजन किया जाकर उनके नाम दर्ज कुल आराजी रास्जव रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज की जाने व चक 11 के.एस.डी. खाता संख्या 5/4 खाता काशीराम वगैरा में प्रतिवादी नं. 1 के नाम दर्ज आराजी में से 0.75 है. आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करने एवं उक्त खाता से प्रतिवादी नं. 1 का 0.759 है. हिस्सा कम किया जाकर उसे वादी के नाम दर्ज किये जाने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादी सं0 1 ने जवाब दावा पेश किया एवं वाद स्वीकार करने में अनापत्ति जाहिर की एवं प्रतिवादी सं0 2 ने जवाबदावा मय काउटर क्लेम पेश किया जिसमें उसने प्रश्नगत आराजी उसे घरू बंटवारा में प्राप्त होने का कथन करते हुए वादी का प्रश्नगत भुमि में कोई हिस्सा नहीं होने का कथन किया। वादी ने जवाबबुल जवाब पेश किया।

2. उक्त वाद के अलावा अपीलाण्ट श्रीराम ने भी एक वाद संख्या 92/99 श्रीराम बनाम बनवारीलाल प्रस्तुत किया जिसमें कथन किया कि वादी/अपीलाण्ट व प्रतिवादी सं0 1 के पिता वीरूराम के नाम से चक 11 के.एस.डी. के खाता संख्या 4/5, खाता काशीराम आदि खाता संख्या 23/23 खाता बीरू आदि व खाता संख्या 31/31 खाता रामप्रताप आदि में कृषि भूमि है। वीरूराम की मृत्यु हो चुकी है। वीरूराम ने अपने जीवनकाल में वाद की चरण संख्या 2 में अंकित भूमि को वसीयत करवा दी थी। वह बहिस्सा बराबर के वसीयती खातेदार काश्तकार हैं। वसीयत के अनुसार वादी/अपीलाण्ट 1/2 हिस्सा बनता है व खातेदारी घोषित करवाने का अधिकारी है।

3. विचारण न्यायालय ने उक्त दोनों में समान पक्षकार एवं समान पृष्ठभूमि होने के कारण एक साथ निर्णय करते हुए बनवारीलाल द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 329/97 को डिक्री किया एवं काउण्टर क्लेम प्रतिवादी नं0 2 को खारिज किया व वाद संख्या 92/99 बअनवानी श्रीराम बनाम बनवारीलाल को खारिज किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने उक्त दोनों अपीलें प्रस्तुत की हैं।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि बीरूराम फौत हो चुका है इसलिए मृत व्यक्ति के खिलाफ निर्णय व डिक्री नल एण्ड वोईड है क्यों कि स्वर्गीय बीरूराम के सभी जायज वारिसान को इस [illegible] रिकार्ड पर नहीं लिया गया है। वादी बनवारीलाल ने अपने [illegible] दर्ज आराजी उसे घरू बंटवारो में मिली है तथा अन्तोष में भी उसने उक्त आराजी जरिये पारिवारिक बंटवारा अपने हिस्से में आना दर्ज नहीं है लेकिन वादी बनवारीलाल ने पारिवारिक बंटवारे के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। बनवारीलाल ने अपने अभिवचनों से बाहर जाकर अपनी साक्ष्य दी है। प्रश्नगत आराजी वादी ने अपने हिस्से में आना कथन किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:56:06 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

है लेकिन कौनसी आराजी उसके हिस्से में आई है यह नहीं बताया है। जबकि अपीलाण्ट ने अपने काउण्टर क्लेम में उसके हिस्से में आई भूमि का विवरण अंकित किया है। स्वर्गीय बीरूराम ने वसीयत दिनांक 17.12.1996 के पैरा संख्या 9 में इन्द्रजीत को उसके हिस्से की आराजी दे दी है। इसलिए प्रश्नगत आराजी अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट नं0 1 को बहिस्सा बराबर दी गई है। इसलिए वसीयत एक वसीयत ना होकर पारिवारिक बंटवारानामा है तथा कब्जा भी इसी के अनुसार दिया गया है। बिना संयुक्त परिवार की आराजी साबित किये तथा उसका विभाजन किस प्रकार हुआ इस तथ्य को साबित किये बिना वादी अपने पिता की कुल आराजी प्राप्त करने अधिकारी नहीं है। प्रदर्श 5 बाबत वादी की कोई प्लीडिंग नहीं ली गई। इसलिए प्रदर्श 5 के आधार पर बनवारीलाल कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इसलिए तनकी नं. 1 का निर्णय विचारणीय न्यायालय ने गलत किया है। तनकी नं 2 का निर्णय विचारण न्यायालय ने गलत किया है। जिसका भार वादी बनवारीलाल पर था। मगर इस तनकी के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। रेस्पाडेण्ट इन्द्रजीत ने अपना हिस्सा मौजा रामपुरा में प्राप्त कर लिया है तथा उसने गंग कैनाल में आई आराजी का मुआवजा लेकर मौजा चौहिलावाली में अपने आराजी खरीद कर ली है तथा उसे प्रश्नगत आराजी घरू बंटवारे में आई है तथा उसने अपने साक्ष्य में यह नही बताया कि अपीलाण्ट को घरू बंटवारा में कौनसी आराजी दी गई है। तनकी नं0 3 का निर्णय विचारण न्यायालय ने गलत किया है जबकि अपीलाण्ट ने अपने काउण्टर क्लेम में बताया है कि घरू बंटवारा में प्रश्नगत आराजी 1/2 हिस्सा अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट नं0 1 का है जिस बाबत वसीयत दिनांक 17.12.96 (पारिवारिक बंटवारानामा) के अनुसार अपीलाण्ट व रेस्पो0 सं0 2 को बराबर मालिक होने का लिखा है। इसलिए अपनी साक्ष्य व अपनी प्लीडिंग के आधार पर अपीलाण्ट ने तनकी नं0 3 को सिद्ध कर दिया है। तनकी नं 4 का निर्णय सही किया है लकिन अपीलाण्ट अपने हक की घोषणा अपनी प्लीडिंग व साक्ष्य के आधार पर करने का अधिकारी है। तनकी नं0 5 के आधार पर अपीलाण्ट अपने हक की घोषणा कराकर रेस्पो0 नं0 1 के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

6. विद्वान अधिवक्ता रेसपोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वाद संख्या 92/99 अनवारी श्रीराम बनाम बनवारी अर्न्तगत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकार अधिनियम में पेश हुआ था, उसमें जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम 28.04.2004 पेश हुआ है। जिसमें दावा खारिज किया गया है। मुताबिक निर्णय अपीलाण्ट को दो अपीलें पेश करनी चाहिए थी। मगर अपीलाण्ट ने एक ही अपील प्रस्तुत की है तथा वाद संख्या 329/97 बनवारीलाल बनाम बीरूराम आदि में जवाबदावा बीरू ने पेश किया था। जवाबदावा में बीरू ने दावा डिक्री किये जाने में सहमति दी है। श्रीराम प्रतिवादी नं0 2 जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम दिनांक 13.03.2000 को पेश किया। यह दावा अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री है एवं काउण्टर क्लेम को खारिज किया है। अपीलाण्ट श्रीराम ने एक अपील ही अपील 77/2005 [illegible] जबकि दो दो अपीलें पेश होनी चाहिए थी। वीरू ने दावा [illegible] बीरूराम को डिक्री किया है जिसमें बीरू ने दावा डिक्री [illegible] सहमति दी [illegible] दौराने दावा बीरू फौत हो गया। उसकी वसीयत इएक्पी 5 दिनांक 04.01.1997 प्रदर्श कराते समय कोई आपत्ति नहीं की है। इक्सपी 5 के आधार पर दावा डिक्री किया गया है बीरू के द्वारा किए अभिवचन को प्रत्याहारित करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। विचारण न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:56:06 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है। अतः उक्त दोनों अपीलें खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2020 पेज 198, आरआरटी 2016 पेज 53 एससी पैरा 22 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

8. अधीनस्थ न्यायालय में दो अलग अलग वाद पेश हुए। अपीलाण्ट श्रीराम ने भी एक वाद संख्या 92/99 श्रीराम बनाम बनवारीलाल प्रस्तुत किया जिसमें कथन किया कि वादी/अपीलाण्ट व प्रतिवादी सं0 1 के पिता वीरूराम के नाम से चक 11 के.एस.डी. के खाता संख्या 4/5, खाता काशीराम आदि खाता संख्या 23/23 खाता बीरू आदि व खाता संख्या 31/31 खाता रामप्रताप आदि में कृषि भूमि है। वीरूराम की मृत्यु हो चुकी है। वीरूराम ने अपने जीवनकाल में वाद की चरण संख्या 2 में अंकित भूमि को वसीयत करवा दी थी। वह बहिस्सा बराबर के वसीयती खातेदार काश्तकार हैं। वसीयत के अनुसार वादी/अपीलाण्ट 1/2 हिस्सा बनता है व खातेदारी घोषित करवाने का अधिकारी है। इस वाद में रेस्पोडेण्ट ने काउण्टर क्लेम दिनांक 28.04.2000 को पेश किया। इस प्रकरण में अपीलाण्ट के वाद पत्र को खारिज किया गया है। जिसके विरूद्ध अपील संख्या 82/2005 (2005/00048) श्रीराम बनाम बनवारीलाल प्रस्तुत हुई है।

9. इसी प्रकार उक्त वाद के अलावा एक वाद संख्या संख्या 329/97 बनवारी लाल बनाम वीरूराम था जो अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीएक्ट में प्रस्तुत किया गया था। जिसमें चक 11 के.एस.डी. खाता संख्या 31/32 खाता रामप्रताप वगैरा में प्रतिवादी नं. 1 वीरूराम, प्रतिवादी नं0 5 हरिराम व प्रतिवादी नं0 4 पिता रामप्रताप पत्र हरभज के नाम दर्ज कुल आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करने व उक्त खाते से वीरूराम पुत्र खुमाराम, रामप्रताप, हरिराम पि0 हरभजन का नाम कलमजन किया जाकर उनके नाम दर्ज कुल आराजी रास्जव रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज की जाने व चक 11 के.एस.डी. खाता संख्या 5/4 खाता काशीराम वगैरा में प्रतिवादी नं. 1 के नाम दर्ज आराजी में से 0.759 है. आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करने एवं उक्त खाता से प्रतिवादी नं. 1 का 0.759 है. हिस्सा कम किया जाकर उसे वादी के नाम दर्ज किये जाने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादी सं0 1 ने जवाब दावा पेश किया एवं वाद स्वीकार करने में अनापत्ति जाहिर की एवं प्रतिवादी सं0 2 ने जवाबदावा मय काउटर क्लेम दिनांक 13.03.2000 पेश किया जिसमें उसने प्रश्नगत आराजी उसे घरू बंटवारा में प्राप्त होने का कथन करते हुए वादी का प्रश्नगत भुमि में कोई हिस्सा नहीं होने का कथन किया। अधीनस्थ न्यायालय में बीरूराम ने जवाब दावा पेश किया था। डिक्री किये जाने में सहमति दी है। विचारण न्यायायल ने दावा को डिक्री किया है एवं काउण्टर क्लेम को खारिज किया है। विधि अनुसार इस निर्णय के विरूद्ध दो पृथक पृथक अपीलें की जानी चाहिए [illegible] ही अपील 77/2005 (2005/00085) बअनवानी श्रीराम बनाम बनवा[illegible]की हैं। इसके अतिरिक्त वाद संख्या 329/97 में वीरूराम [illegible] वसीयत अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उस[illegible] जो कि इएक्पी 5 है। इस वसीयत को प्रदर्श कर[illegible] आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। और इस वसीयत के आधार पर दावा को डिक्री किया गया है। इस प्रकार बीरू के द्वारा किए अभिवचनों को प्रत्याहारित नहीं किया जा सकता है। रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2016 आरआरटी पेज 56 पेरा 22 में यह अभिनिर्धारित किया गया है

अपील प्राधिकारी
Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:56:06 IST
Reason: SelfAttested
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़
Scanned with CamScanner

कि लिखित में किये गये अभिवचनों को वापस नहीं लिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट की उक्त दोनों अपीलें खारिज किये जाने योग्य है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2005 यथावत रखे जाने योग्य है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर उक्त दोनों अपीलें खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर संगरिया का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2005 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

11. निर्णय आज दिनांक 10.12.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

10.12.2020
(करतार सिंह पूनीयाँ आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी,
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:56:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डिक्री व सीगे अपील

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयाँ आर.ए.एस

(1) 2005/00085 (77/2005) 225 आरओएक्ट

श्रीराम पुत्र श्री बीरूराम जाति बिश्नोई निवासी रामपुरा नारायण हाल चक नं. 11 के.एस.डी. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ। –अपीलाण्ट

बनाम

1. बनवारी (फौत)

1/1 आबल देवी विधवा पत्नी बनवारी लाल जाति बिश्नोई पा0 ओ0 रामपुरा तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर, (पंजा)

1/2 मोहरां देवी पत्नी बनवारी लाल जाति बिश्नोई वी.पी.ओ. बिलोचांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ।

1/3 उदयपाल
1/4 हंसराज
1/5 जोगेन्द्र
1/6 सोमदत्त
1/7 रमेश
} पिसरान बनवारी लाल वी.पी.ओ. रामपुरा तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर (पंजाब)

1/8 विमला देवी पत्नी बस्ती राम पुत्री बनवारी लाल जाति बिश्नोई निवासी चक 2 ढाणी खनुवाली तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।

2. इन्द्रजीत पुत्र बीरूराम जाति बिश्नाई निवासी रामपुरा नारायण हाल चौहिलांवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (राज0)

3. मनीराम पुत्र रामप्रताप (फौत)

3/1 रोशनी पत्नी मनीराम
3/2 विष्णु पुत्र. मनीराम
} निवासी बिलोचांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

3/3 माया देवी पुत्री मनीराम निवासी बिलोचांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

4. हरीराम पुत्र हरभज (फौत)

4/1 जगदीश प्रसाद पुत्र हरीराम

4/2 किशोरीलाल पुत्र हरीराम

4/3 सावित्री पुत्री हरीराम पत्नी हरिशंकर निवासी रासूवाला ढाणी 12 के.एस.डी. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

4/4 कमला पुत्री हरीराम पत्नी राजेन्द्र कुमार रासूवाला ढाणी 12 के.एस.डी. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

4/5 शीलो देवी पुत्री हरीराम निवासी बिलोचांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ। –रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 17.05.2005 [illegible] क कलक्टर संगरिया अनवान बनवारीलाल [illegible] 329/1997

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:56:06 IST
Reason: SelfAttested

(2) अपील सं0 2005/00048 (82/2005) 225 आरओएक्ट

श्रीराम पुत्र श्री बीरूराम जाति बिश्नोई निवासी रामपुरा नारायण हाल चक नं. 11 के.एस.डी. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ। –अपीलाण्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

बनाम

1. बनवारी (फौत)

1/1 आबल देवी विधवा पत्नी बनवारी लाल जाति बिश्नोई पा0 ओ0 रामपुरा तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर, (पंजा)

1/2 मोहरां देवी पत्नी बनवारी लाल जाति बिश्नोई वी.पी.ओ. बिलोचांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ।

1/3 उदयपाल
1/4 हंसराज
1/5 जोगेन्द्र
1/6 सोमदत्त
1/7 रमेश
} पिसरान बनवारी लाल वी.पी.ओ. रामपुरा तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर (पंजाब)

1/8 विमला देवी पत्नी बस्ती राम पुत्री बनवारी लाल जाति बिश्नोई निवासी चक 2 ढाणी खनुवाली तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।

2. इन्द्रजीत पुत्र बीरूराम जाति बिश्नोई निवासी रामपुरा नारायण हाल चौहिलांवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (राज0)

3. मनीराम पुत्र रामप्रताप (फौत)

3/1 रोशनी पत्नी मनीराम
3/2 विष्णु पुत्र. मनीराम
} निवासी बिलोचांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

3/3 माया देवी पुत्री मनीराम निवासी बिलोचांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

4. हरीराम पुत्र हरभज (फौत)

4/1 जगदीश प्रसाद पुत्र हरीराम

4/2 किशोरीलाल पुत्र हरीराम

4/3 सावित्री पुत्री हरीराम पत्नी हरिशंकर निवासी रासूवाला ढाणी 12 के.एस.डी. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

4/4 कमला पुत्री हरीराम पत्नी राजेन्द्र कुमार रासूवाला ढाणी 12 के.एस.डी. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

4/5 शीलो देवी पुत्री हरीराम निवासी बिलोचांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

—रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 17.05.2005 द्वारा सहायक कलक्टर संगरिया अनवान बनवारीलाल बनाम बीरूराम आदि प्र0सं0 92/1999

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री [illegible] श्री खुशप्रीत सिंह संधू अधिवक्ता अपीलाण्ट श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस[illegible] की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि दोनों अपीलें खारिज की जाती है [illegible] सहायक कलक्टर संगरिया का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2005 [illegible] रखा जाता है।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 10.12.2020 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:56:06 IST
Reason: SelfAttested

10/12/20

(करतार सिंह पूनीयाँ आर. ए. एस.)
राजस्व अपील अधिकारी,
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner